

Shyamvir Singh  
Advocate  
Cn. No. 71, Tehsil Compound

2764

total. 7

(15)

10.06

500



FIVE HUNDRED  
RUPEES

RS. 500

INDIA NON JUDICIAL

21 APR 2008

CHIEF TREASURY OFFICE

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 29331

किरायानामा-(लीज डीड) मियाद 30 वर्ष :-


स्टाम्प ड्यूटी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष किराये के छः गुने के कुल किराये की कीमत पर 10 प्रतिशत की अदा जा रही है।

स्टाम्प अंकन-600/-रूपये का।

हम कि मॉडर्न इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट रजि० आफिस सी-1, गुरु नानकपुरा, मोदीनगर जिला गाजियाबाद द्वारा सचिव डी.के. सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी आर-9/310, राजनगर तहसील व जिला गाजियाबाद प्रथमपक्ष (सम्पत्ति मालिक)। एवं मॉडर्न डिग्री कॉलेज मेरठ रोड दुहाई तहसील व जिला गाजियाबाद द्वारा सचिव श्री {डॉ०} जे.पी. शर्मा पुत्र श्री शोभाराम शर्मा निवासी ए-267, सैक्टर-31, नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर द्वितीयपक्ष (किरायेदार) ।

*Shyamvir Singh*

*19/04/08*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 3Q2604

विदित हो कि भूमि रकबई 5000 वर्गमीटर (पांच हजार वर्गमीटर) निम्नसीमा सम्बन्धित खसरा नम्बर-307, स्थित ग्राम दुहाई परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद की प्रथमपक्ष ट्रस्ट मालिक काबिज व स्वामीनि है। प्रथमपक्ष ट्रस्ट की तरफ से मुझ निष्पादक डी.के. सिंह को बहैसियत सचिव वर्णित भूमि के विषय में हर प्रकार की कार्यवाही तथा किरायानामा आदि करने का पूर्ण अधिकार है। वर्णित भूमि को किराये आदि पर देने में कोई वैधानिक दोष व त्रुटि नहीं है। अब प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को उक्त वर्णित भूमि अपनी खुशी व रजासन्दी व समस्त स्वस्थ

*Devish Kumar Singh*

*Ashwan*

4-यह कि उक्त सम्पत्ति में द्वितीयपक्ष यानि किरायेदार कोई अवैध कार्य नहीं करेंगे यदि करते है तो उसके जिम्मेदार वह स्वयं रहेंगे तथा द्वितीयपक्ष सम्पत्ति में कोई गैर कानूनी सामान नहीं रखेंगे।

5-यह कि वर्णित भूमि की किरायेदारी की मियाद समाप्त होने के बाद द्वितीयपक्ष उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रथमपक्ष को करा देंगे।

6-यह कि द्वितीयपक्ष वर्णित सम्पत्ति में शिक्षा से सम्बन्धित कार्य करेंगे।

7-यह कि यदि किरायेदारी अवधि में वर्णित भूमि के विषय में द्वितीयपक्ष की किसी भी निष्पत्ति से कोई लेनदारी या देनदारी आती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष किरायेदार की रहेगी।



8-यह कि किन्ही भी लगातार तीन वर्ष की किरायेदारी द्वितीयपक्ष द्वारा अदा न करने की दशा में द्वितीयपक्ष किरायेदारी से बेदखल माना जावेगा और अवधि उक्त के अन्दर द्वितीयपक्ष वर्णित भूमि मे किसी प्रकार से भी शिकमी किरायेदार नही रख सकेगा।

9-यह कि यदि उक्त अवधि के अन्दर द्वितीयपक्ष वर्णित शर्तों का उल्लंघन नही करता है तो प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को किरायेदारी से बेदखल नही कर सकेगा।

अतः यह किरायानामा लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें ।

D. K. Singh



इन्द्रियों की दशा में किराये पर तिथि-23-4-2008 से अन्दर मियाद 30 वर्ष यानि दिनांक 22-4-2038 तक की अवधि के लिये देना तय पाया है तथा पक्षकारों में निम्नलिखित शर्तें तय पायी हैं जिनके पाबन्द दोनों पक्ष व वारिसान पक्ष रहेंगे।

1-यह कि तय शुदा किराये की कीमत में कमी बेसी करने का अधिकार किसी भी पक्ष को नहीं होगा।

2-यह कि वर्णित भूमि का प्रतिवर्ष किराया अंकन-1,000/-रूपये (एक हजार रूपये) तय पाया है, जिसे द्वितीयपक्ष प्रतिवर्ष अप्रैल माह में प्रथमपक्ष को अदा करते रहेंगे।

3-यह कि प्रथमपक्ष ने किरायेदारी की बाबत वर्णित भूमि का कब्जा मौके पर पूर्ण व वास्तविक रूप से द्वितीयपक्ष को करा दिया है।

Daniel Kaur - Sgl

N. S. Sharma

Dinesh K J

Nishant

फोटो गवाह-1

फोटो गवाह-2

Saurabh

[Signature]

Saurabh



Dinesh K J

Nishant

वर्णित भूमि में दो कमरे बने हैं तथा पूरी भूमि की चोरी दीवारी है तथा भूमि आवासीय है।

Dinesh Kumar

[Signature]

[Signature]

गवाह-1

मौजद श्री. श्री. राजेश शर्मा

71 नो. एच. आर. ए. ए.

गवाह-2

[Signature]

मौजद श्री. श्री. राजेश शर्मा

71 नो. एच. आर. ए. ए.

दिनांक-23-04-2008 मसौदा शरामचौर सिंह एडवोकेट

(रजिस्ट्रेशन नम्बर-डी-1046/2001) चौजर नम्बर-71 राजभोज

कम्पाउन्ड गाजियाबाद दूरभाष मो 9810331874.

(वर्णित सम्पत्ति का एडवोकेट ने मौजद मुजायान नहा है

यह संपत्ति पक्षों के कथनानुसार तय कर किया गया है